न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76 / 2022

1 सत्यवीर पुत्र मालाराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 किस्तुरी पत्नी नौरंगराम
2 कुरड़ाराम पुत्र नौरंगराम
3 शीशराम पुत्र नौरंगराम
4 महिपाल पुत्र नौरंगराम
जाति समस्त जाट निवासीगण सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी किस्तुरी वगै. बनाम सत्यवीर वगै. मु.नं. 240 / 2016 निर्णय दिनांक 16.02.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 16.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 240/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के यहां रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आराजी हाल खसरा नम्बर 514 रकबा 3.72 हैक्टेयर सरहद मौजा सीथल तहसील उदयपुरवाटी के संबंध में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 16.02.2022 के द्वारा स्वीकार कर अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से दावा के निर्णय होने तक जमीन खसरा नम्बर 514 रकबा 3.72 हैक्टेयर सरहद मौजा सीथल के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय जैर बहस अवैध व शून्य है। पक्षकारान के नाम व पते दर्ज नहीं है निर्णय आदेशिका पर लिखा हुआ है। कानून से रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के नियमों के मुताबिक आदेशिका पर निर्णय नहीं लिखा जा सकता और निर्णय में पक्षकारान के नाम पते दर्ज होंने आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य को सही रूप से डिस्कस नहीं किया है। अपीलान्ट सद्भाविक क्रेता है और पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत अपीलान्ट ने जमीन जैर बहस में से 1/4 हिस्से के टिनेन्सी राईटस कब्जे सहित उचित प्रतिफल के बदले हक से क्रय किए है। अपीलान्ट रिकार्डेड सहखातेदार है। कानून से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायलाय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने के लिए जो आवश्यक बिन्दु होते है उन्हें बिना निर्धारित किए आदेश जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने प्राईमा फेशी केस, सुविधा का संतुलन व अपारक्षति के बिन्दु को तय नहीं किया है। निर्णय स्पींकिग नहीं है। उपरोक्त तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्टस के पक्ष में नहीं है। रेस्पोडेन्टस की प्लींडिग से इस बात की ताईद होती है कि उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सारवान बिन्दु नहीं उठाया है जिसका विचारण होना है। कानून से कोटिनेन्ट को उसकी टिनेन्सी के फुटस लेने से नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधि को अनदेखा कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है वो कि अपने आप में अवैध है। कानून से यथास्थिति का आदेश जब तक कब्जे के बिन्दु का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है तब तक नहीं दिया जा सकता है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 16.02.2022 को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूलवाद के निर्णय के समय होना है। इससे पूर्व पक्षकारो में वाद बाहूल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बिन्दु पर विवेचन किए बिना, दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत विधिक प्रकिया अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर